दूरभाष/Telephone-2223251
2225766, 2224812

फैक्स /Fax – 0612-2221056
तार
Tele | Gram : ACCOUNTS

प्र0 महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना

OFFICE OF THE Pr. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No.
संख्या :- Pen-9 – 740
Date:
दिनांक:- 07-07-2022

To,

The

1	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2	Director of Audit & Pension Govt, of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi	834002
5	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Director of Accounts, pension Section, Panji, Goa	403101
6	Accountant General (A&E), Chhatisgrah, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur	492009
7	Accountant General (A&E),, Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
248	Accountant General (A&E), Harayana, Lekhabhawan, Plot No. 4&5, Sector-33-B, Chandigrah	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himanchal Pradesh , Gorton Castle Building, Shmila	171003
10	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground , Srinagar	190009
11	Pr. Accountant General (A&E),Karnatka, residency Parm Road, Post Box No.5 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh , Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Pr, Accountant General (A&E), Maharashtra , 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karv, Mumbai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line. Nagpur	440001
16	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghlalya, Shilong	793001
18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Buallıranga Buildignh, Dinthar, Aizawl	796001
19	Sr. Deputy Accountant General (A&E). Nagaland Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhuneshwar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigrah, Sector- 17E, Chandigarh	160017
22	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhawagan Das Road, Jaipur	302005

DR

शोधि
3
14/7/22

पेंशन
(4)
1317

711

DR-42
14/7/22

23	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deoria, PO- Tadong, Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjanban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojni Naidu, Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majranj, Dehradun	248171
28	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, No.-2, Govt. Place (West), Kolkata	700001
29	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
30	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31	Pay & Accounts Officer(V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
32	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject: Grant of Dearness Relief/ Medical Allowance/ Revision of pension/ amendment of pension rules of state government pensioner.

Reference: Government resolution No.-3ई-3-मा0-01/2022-3024/वि0 दिनांक-08-04-202

Sir,

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all concern pensions disbursing authority under your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

Enclosure: Resolution of Government of Bihar.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Dy No - Pen-01- Gen-11 (2022-23)

संख्या–3ए–3–भत्ता–01/2022– 3024 /वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः– 8/4/2022

विषयः– **सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/01/2022 के प्रभाव से 31% के स्थान पर 34% महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभागीय संकल्प सं०–7530/वि० दिनांक–09/11/2021 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक–01/07/2021 के प्रभाव से 31 प्रतिशत की दर से महंगाई राहता की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०–1/2/2022–E–II(B) दिनांक–31/03/2022 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को दिनांक–01/01/2022 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 31% से बढ़ाकर 34% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि–

(i) सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/01/2022 के प्रभाव से 31 प्रतिशत के स्थान पर 34 प्रतिशत महँगाई राहत की स्वीकृति दी जाती है।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।

(iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. उक्त वर्धित महंगाई राहत की बकाया राशि का भुगतान मार्च, 2022 के पेंशन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

6. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं

AK
Audo
18/4/22

असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम–206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेशः **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

ह0/–
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2022–3024/**वि०** पटना, दिनांकः– 08/04/2022

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

08/4/2022

A.G.B.
11 APR 2022
PATNA

12042240965